Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला–अलवर

कलसुम .... बनाम .... मिस्सर वगैरह

प्रकरण सं. .... 2/42/2024 तारीख रजू 29.5.24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
29.5.24	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण/गैरसायलान को जर्ये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 12.06.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़(अलवर)	
12.06.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी द्वारा मूल वाद में प्रतिवादीगण की तामील की रिपोर्ट पेश की। पत्रावली वास्ते तलबी गौर दिनांक 19.06.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
19.6.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब .... अन्य .... कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 26.6.24 को पेश हो। रीडर	
26.6.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनुप०। अप्रार्थीगण को न्यायाहित में मौका दिया जाता है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थिनी के कब्जे काश्त में रुकावट, मजाहमत करना को तथा बिना तकसीम विवादित आराजी को बिक्री P.T.O	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	दीगर व्यक्ति को रहन बेचान ना करे तथा मौकापरिस्थिति की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को पाबंद करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र-212 RTA का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आ० ता० पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नं. 1017/1511, 1258/1417, 1293, 1538/1258, 1734/1101, 1736/1115, 1738/1117, 1754/1014 वाके ग्राम इन्द्रपुर तह० गोविन्दगढ़ में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे, रहन बेचान, मुंतकिल ना करे तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण के यदि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो आ० ता० पेशी दिनांक 24.07.24 को पेश हो। ह० उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
24.7.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14.8.24 को पेश हो। ह० उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला–अलवर

कलसुम बनाम सिरदार

प्रकरण सं. तारीख रजू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
14.8.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य ....है। कार्य में व्यस्त ....। पत्रावली दिनांक 4.9.24 को पेश हो। [signature] रीडर	
04.9.24	पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर मूल दावा withdraw कर लिया है। अतः प्रार्थना पत्र -212 राज० काश्तकारी अधिनियम के चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र -212 अंतर्गत धारा राज० काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली मूल वाद के संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	कलसुम [signature]

सेवामें

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ (अलवर)

राजस्व प्रार्थना सं. 2/421 **सन् 2024**

1 कलसूम पुत्री भौण्डा जाति मुसलमान नाई निवासी ईन्दपुर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राज0।

.....वादनी / प्रार्थिनी

बनाम

1. मिसर 2 पत्नी भौण्डा जाति मुसलमान नाई निवासी ईन्दपुर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
2. उप पंजियक महोदय, गोविन्दगढ

3. तहसीलदार भूमिधारी तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर

.....असल अप्रार्थीगण

.....तकमीली अप्रार्थी

दावा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट, ऑर्डर 39 रूल्स 1 व 2 जा0 दी0

श्रीमान,

प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

1. यह कि उक्त अनुवान दावा पूर्ण वजूहात के साथ न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया है। जिसकी सफलता की पूरी—2 उम्मीद है तथा दावा के तथ्य प्रार्थना पत्र के साथ पढे जाने योग्य है।

2. यह कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के खाता सं0 232 के आराजी ख़सरा नम्बर 1017 / 1411 रकबा 0.13, 1258 / 1417 रकबा 0.15, 1293 रकबा 0.23, 1538 / 1258 रकबा 0.01, 1734 / 1101 रकबा 0.19, 1736 / 1115 रकबा 0.17, 1738 / 1117 रकबा 0.14, 1754 / 1014 रकबा 0.37 हैक्ट0 कुल किता 8 रकबा 1.41 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है और आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित की जावेगी।

3. यह है कि विवादित आराजी में प्रार्थिनी और असल अप्रार्थी सं0 1 का मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के वादनी का 2 / 3 व असल

कलसुम

अप्रार्थी सं0 1 का 1/3 हिस्सा है तथा हिस्सेनुसार ही मौके पर कब्जा है तथा अपने–अपने हिस्से पर काश्त करती चली आ रही है। और काबिज है।

4. यह कि विवादित आराजी प्रार्थिनी और असल अप्रार्थी सं0 1 ने मौके व कब्जे अनुसार सहुलियत के हिसाब से घरेलू बंटवारा किया हुआ है।

5. यह है कि विवादित आराजी संयुक्त खाते की आराजी है, जो अबट आराजी है। जिसका अभी कोई राजस्व रिकार्ड में विधिक बंटवारा नही हुआ है।

6. यह कि विवादित आराजी प्रार्थिनी और असल अप्रार्थी सं0 1 की सामलात में होने के कारण आये दिन लडाई झगडे होते रहते है। अप्रार्थी सं0 1 के मन में कुछ समय से बेईमानी आ गई है और बिना बंटवारे के ही अप्रार्थी सं0 1 अच्छे हिस्से पर काबिज होना चाहती है। और भूमाफियान को बेचने की फिराक में है, इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 21.05.2024 को धमकी दी कि विवादित आराजी को किन्ही दीगर व्यक्तियों को बिना तकसीम कराये बेचान कर देंगे इसलिए बिला देरी के यह प्रार्थना पत्र दायर करना लाजिम आया।

7. यह कि विवादित आराजी प्रार्थिनी और असल अप्रार्थी सं0 1 की सामिल कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी सं0 1 ने भूमाफियान से मिलकर बिना तकसीम कराये विवादित आराजी का बेचान कर दिया तो प्रार्थिनी को नापूर्ति होने वाली हानि होगी। जिसकी पूर्ति रूपयों में ना तो हो सकेगी ना द्रव्यों में आंकी जा सकेगी। जबकि विवादित आराजी पर प्रार्थनी और असल अप्रार्थी सं0 1 का हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है।

8. यह कि विवादित आराजी अभी तक अबट है तथा जिसका अभी तक कोई विधिक रूप से बटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी में प्रार्थिनी और असल अप्रार्थी सं0 1 को हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार बटवाकर करवाकर प्रार्थिनी का अलग खाता लगान कायम कराया जावें।

9. यह कि अप्रार्थी सं0 1 को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावें कि बिना तकसीम कराये विवादित आराजी पर किसी प्रकार की रूकावट व

मजाहमत पैदा ना करें व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें, उक्त आराजी को रहन, बय, हिबै आदि न करें।

10. यह कि अप्रार्थी सं0 2 उप पंजियक महोदय गोविन्दगढ़ को पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी बाबत कोई दस्तावेजात रहन, बय, हिबा आदि का पेश होने पर तस्दीक नही करे एवं रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखी जाये।

11. यह कि विवादित आराजी वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर की है। जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार का है। जो श्रीमान के श्रवण योग्य है।

12. यह कि प्रार्थना पत्र पर उचित कोर्ट फीस एवं तलबाना सशुल्क चस्पा है।

13. यह कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थिनी के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर असल अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता सं0 232 के आराजी खसरा नम्बर 1017/1411 रकबा 0.13, 1258/1417 रकबा 0.15, 1293 रकबा 0.23, 1538 /1258 रकबा 0.01, 1734 / 1101 रकबा 0.19, 1736 /1115 रकबा 0.17, 1738 / 1117 रकबा 0.14, 1754/1014 रकबा 0.37 हैक्ट0 कुल किता 8 रकबा 1.41 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान में प्रार्थिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करे व बिना तकसीम के विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बय व हिबा आदि न करे, विवादित आराजी में किसी भी किसी प्रकार का कच्चा पक्का निमार्ण नही करायें, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी सं0 2 किसी प्रकार का दस्तावेज तस्दीक नही करें।

प्रार्थिनी

कलसूम पुत्री भौण्डा जाति मुसलमान नाई निवासी ईन्दपुर तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राज0।